

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अतिरिक्त
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 18/2021

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : *श्रीकांत वर्मा एस 22615 बचेल*

CGRERA-P-Execm-PRO-2020-01123

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

02/09/2021

प्रकरण आज वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।

आवेदक स्वतः उप.।

अनावेदक द्वारा श्री सिद्दीकी अधि.।

प्रकरण आज आर.आर.सी. जारी किये जाने हेतु
नियत है।

प्रकरण का अवलोकरण किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.03.2021 को आदेश पारित कर अनावेदक को Rs. 10,85,714 (दस लाख पचयासी हजार सात सौ चौदह रू. मात्र) दो माह के भीतर, आवेदक को, भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु यह निष्पादन प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर


छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 18/2021

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : *श्री. राजेश कुमार यादव रायपुर-छत्तीसगढ़*

CGRERA-P-*Exc.m. 1220-2020-01123*

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>अनावेदक ने आवेदक को आदेशित राशि का भुगतान भी नहीं किया है। ऐसी दशा में आदेशित राशि की वसूली हेतु धारा-40(1) छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016, एवं अंतर्गत नियम 25 छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम 2017. के तहत आर.आर.सी. जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः Rs. 10,85,714 (दस लाख पचयासी हजार सात सौ चौदह रु. मात्र) की वसूली हेतु आर.आर.सी. कलेक्टर महोदय को इस टीप के साथ जारी की जावे कि वे वसूल की गई उपरोक्त राशि को प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। आर.आर.सी. तामिली हेतु रजिस्ट्रार महोदय को प्रेषित की जावे।</p> <p>प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।</p> <p style="text-align: center;"> (दीपा कटारे) न्याय निर्णायक अधिकारी भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p>	